न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

पीठासीन अधिकारी :— श्री राजेश मेवाड़ा आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :— 05/2022

प्रकरण दर्ज तिथि :— 16.02.2022

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. मोहनसिंह पुत्र हुसैन जाति मेहरात निवासी कोलपुरां तहसील रायपुर		1. इकबाल पुत्र देवा निवासी चिताड तहसील रायपुर 2. तहसीलदार रायपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 आर.एल.आर. एक्ट विरूद्व नामान्तकरण संख्या 392 दिनांक 03.08.2014

उपस्थितः— 1 श्री जसवंत सिंह सांखला अधिवक्ता अपीलान्ट
2 श्री भूपेन्द्र सैन अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक :—08.03.2022

अपीलान्ट ने जरिये अधिवक्ता श्री जसवंत सिंह सांखला ने अपील अन्तर्गत धारा 75 आर.एल.आर. एक्ट विरूद्व नामान्तकरण संख्या 392 दिनांक 03.08.2014 के तहत विरूद्व रेस्पोडेन्ट न्यायालय में पेश किया गया है। अपील का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा कोलपुरा पटवार हल्का बाबरा, भू. अभि. नि. क्षैत्र बा़बरा तहसील रायपुर जिला पाली राज. के खसरा सं. 2609 रक्बा 2.0639 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल भुमि आई हुई हे। उपरोक्त वर्णीत आराजीयात को आगे प्रार्थना पत्र मे वादग्रस्त आराजीयात के नाम से सम्बोधित किया जाएगा तथा जमाबंदी संवत 2075—2078 एवं नामान्तरण संख्या 392 की प्रति अपील के साथ पेश है जिसे अपील का आवश्यक भाग माना जावें। अपीलार्थी के नाम सहखातेदार के रूप मे दर्ज रेकर्ड था। दिंनाक 11/02/2014 को जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज तत्कालीन खातेदार सायर पुत्र प्रेमा, कप्तानसिंह पुत्र हुसैन, मोहन पुत्र हुसैन ने अपने हिस्से मे से कुछ भुमि का बेचान किया गया जो उपपंजीयन कार्यालय मे पंजीबद्व किया गया जिसका पंजीयन दस्तावेज 76/2014 पर पंजीबद्व किया गया हुआ था। उक्त बेचाननामा अनुसार खातेदार सायर पुत्र प्रेमा ने अपने दर्ज 1/8 हिस्से मे से 1/3 वा हिस्से की 10.625 बिस्वा भुमि, कप्तान सिंह पुत्र हुसैन ने अपने दर्ज 1/16 हिस्से मे से 1/2 वा हिस्से की 7.968 बिस्वा भुमि एवं मोहन पुत्र हुसैन ने अपने दर्ज 1/16 हिस्से का 3.5 हिस्से की 4.553 बिस्वा भुमि का बेचान अर्थात कुल 23.146 बिस्वा भुमि का प्रत्यार्थीगण सं. 1 को बेचान किया गया था। जिसका नामान्तरण सं 392 भरा गया। जो गलत भरा गया है। जो काबिल खारीज योग्य है। उपरोक्त वादग्रस्त आराजी मे नामान्तरण सं. 392 भरते समय तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा पंजीयन दस्तावेज की जॉच सही नही कि जाकर भुलवश मोहन पुत्र हुसैन का पुरा हिस्से का नामान्तरण भर दिया गया जिस पर भु. अभि. निरि. ने बिना दस्तावेज की जॉच किये रजिस्ट्री दस्तावेजों से जॉच किया अंकन सही पाया का नोट लगा दिया जो बिल्कुल गलत है उसी तरह अधिनस्थ न्यायालय ने भी बिना जॉच किये उसे स्वीकृत कर दिया जबकि हल्का पटवारी, भु. अभि. निरि. एवं अधिनस्थ न्यायलय को गलत नामान्तरण करने का कोई हक अधिकार नही था।

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

जो नामान्तरण काबील खारीज है। अपीलार्थी केवल मात्र साक्षर है उसने कभी भी राजस्व रेकर्ड का अवलकोकन नही किया। केवल अपने हक हिस्से अनुसार काबिज होकर बिना किसी बाधा के, बिना किसी रोक टोक के कब्जा काश्त कर रहे है प्रत्यार्थीगण का कभी उक्त भुमि पर कोई कब्जा काश्त नही रहा है एंव ना वर्तमान मे है। वादग्रस्त आराजीयात पर अपीलार्थी अपने अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे है । अपीलार्थी हमेशा इसी सद्विश्वास मे रहा के वादग्रस्त आराजीयात में उसका भी नाम अंकित हो गया व चला आ रहा है। इसी कारण उन्होनें कभी राजस्व रेकर्ड का अवलोकन करने का प्रयास नही किया। अब अपीलार्थी को पेंसो की जरूरत होने पर बैंक गये तब अपीलार्थी को जानकारी हुई कि जमाबन्दी की खातेदारी मे उनका नाम दर्ज नहीं हैं उक्त जानकारी होने पर उन्होने राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त की तब उन्हे यह ज्ञात हुआ कि अपीलार्थी का नाम दर्ज नहीं है अपीलार्थी का नाम दर्ज होने से रह जाने से उनको भारी समस्या का सामना करना पड रहा है जिस कारण उक्त गलत भरे नामान्तरण 392 को खारीज किया जाकर नये सिरे से जॉच की जाकर नामान्तरण किया जाना अत्यन्त आवश्यक होने के कारण उक्त अपील पेश कि जा रही है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय सरपंच ग्राम पंचायत बाबरा, पंचायत समिति रायपुर, जिला पाली ने अपीलाधीन आदेश पारित करने मे घोर विधिक एवं तथ्यात्मक भुल की है। यह नामान्तरण पटवारी हल्का बाबरा भु अभिलेख निरीक्षक बाबरा से जाच मे सही पाया तथा सरपंच ग्राम पंचायत बाबरा ने आपसी द्वेशता रखते हुए भरा नामान्तरण बिना जॉच किये स्वीकृत कर दिया जो काबिले अपास्त के है। अपीलाधीन नामान्तरण विधि विरूद्व होने से शुन्य है इसलिये उसे चुनोति देने मे कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, ऐसी स्थिति में अपील को समय अवधि में माना जावे ।प्रत्यार्थी 1 का नाम राजस्व रेकर्ड मे होने से एवं हितबद्व पक्षकार होने से उनको पक्षकार बनाया है। प्रत्यार्थी सं. 2 राजस्थान सरकार आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया है। अतः अपील प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि अपीलार्थी की अपील को स्वीकार फरमाकर अपीलाधीन नामान्तरण ग्राम कोलपुरा पटवार हल्का बाबरा के नामान्तरण सं. 392 को निरस्त करने का आदेश पारित करे तथा पटवारी हल्का बाबरा तहसील रायपुर, जिला पाली को निर्देश फरमावे कि पंजीयन दस्तावेज दिंनाक 11/02/2014 के क्र. सं. 76/2014 पर पंजीबद्व दस्तावेज की जाचॅ कर नियमानुसार नामान्तरण पुनः भरने के आदेश करावें।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर्ड की गयी। रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये नोटिस तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से वकालतनामा अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र सैन ने पेश किया। जिसमें अप्रार्थी संख्या 01 की ओर अपना जबाव प्रस्तुत किया, जिसमें अपने जबाव अपील के वर्णित सभी कथनो को स्वीकार किया हैं। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने अपील स्वीकार करने में अपनी सहमति प्रदान की। वकील अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता से अपील पर बहस सुनी एंव दिये गये तर्को का मनन व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का गहनतापूर्वक अवलोकन करने पर नामान्तकरण संख्या 392 दिनांक 03.08.2014 को निरस्त (रद्व) किया जाना न्यायोचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

आदेश

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर ग्राम पंचायत बाबरा द्वारा निस्तारित नामान्तकरण संख्या 392 दिनांक 03.08.2014 को अपास्त किया जाकर ,तहसीलदार रायपुर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता हैं कि नामान्तरकरण के संबंध में दस्तावेज की विस्तृत जांच कर नियमानुसार पुनः नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। तहसीलदार रायपुर को आदेश, तहरीर के साथ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

यह निर्णय आज दिनांक 08.03.2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)